संख्या-20/2022/1544/22-4-2021-48(28)/13टीसी

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 21 फरवरी, 2022

विषय- नवनिर्मित केन्द्रीय कारागार इटावा में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु सीसीटीवी सर्विलांस इकाई की व्यवस्था कराये जाने हेतु क्रयानुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-105/2021/524/22-4-2021-48(28)/13टीसी, दिनांक-03.11.2021 एवं अपने पत्र संख्या-38552/आधु0-1/नयी जेल/इटावा/2021, दिनांक-10.12.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उप महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की बैठक दिनांक-01.12.2021 में की गयी संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त नवनिर्मित केन्द्रीय कारागार इटावा में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु 238 कैमरों की सम्पूर्ण सीसीटीवी सर्विलांस इकाई की स्थापना कराये जाने हेतु गवर्मेन्ट ई-मार्केट प्लेस (जैम पोर्टल) पर क्रय किये जाने हेतु रू0 3,84,50,000 /- मात्र (रूपये तीन करोड़ चौरासी लाख पचास हजार मात्र) को मैसर्स इन्डीलिबल टेक्नोलॉजी, लखनऊ के पक्ष में उक्त सीमा तक कार्य कराये जाने हेतु अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है :-

(1) महानिरीक्षक,कारागार द्वारा उपकरणो का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं/सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत शासनादेशों के अनुसार गर्वमेन्ट ई-मार्केटप्लेस (जेम) के माध्यम से किया जायेगा ।

(2) प्रश्नगत उपकरणो का क्रय नियमानुसार पूर्व में क्रय हेतु दिए गये सुसंगत निर्देशो के अनुक्रम में किया जाएगा ।

(3) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा धनराशि आहरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त उपकरणो के क्रय हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उपकरणो की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) क्रय किये जाने वाले उपकरणो की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में क्रेता इकाई/महानिरीक्षक, कारागार पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे। क्रय किये जा रहे उपकरणो की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप हो ।

(5) उपकरणो के क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा, यदि कोई धनराशि बचती है तो अवशेष धनराशि के सापेक्ष कोई अन्य उपकरणो का क्रय न किया जाय ।

(6) उक्त धनराशि का व्यय स्वीकृत प्रयोजन हेतु स्वीकृत संख्या के अन्तर्गत ही किया जायेगा। किसी अन्य मद में व्यय नही किया जायेगा ।

(7) स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दि0- 31-3-2022 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा ।

(8) उक्त उपकरणो का क्रय शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों में निहित वित्तीय नियमों/निर्देशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा ।

(9) क्रय की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त महानिरिक्षक कारागार उ0प्र0 द्वारा इसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी ।

3- उक्त क्रयानुमोदन आदेश प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-122/तीन-2022-61/2022, दिनांक-08 फरवरी, 2022 द्वारा दी गयी यह सूचना कि प्रश्नगत प्रकरण में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनापत्ति प्रदान कर दी गयी है, के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

अवनीश कुमार अवस्थी
अपर मुख्य सचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्या-20/2022/1544(1)/22-4-2021-तददिनांकित-</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग (सामग्री क्रय अनुभाग), उ0प्र0 कानपुर।
3- अनु सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in